



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121



दिनांक: 18 September, 2023

PGCIL/R/E/23/00301

Sanjit,
Rishank Imperia, Tadepalli, Guntur, Pin:522502

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 18 August, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,
(10
18/9/23
(ए. जगन्नाथ राव)
मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cplo.cc@powergrid.co.in

**Sub: Reply to RTI Request of Sh. Sanjit, Guntur, Andhra Pradesh
(RTI Regn. No. PGCIL/R/E/23/00301)**

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1.	What is the minimum safe distance required to build a house or petrol pump near to 500 KV or more power transmission tower / line.	<p>The overhead transmission lines in the country are constructed as per the Central Electricity Authority's Regulations (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as well as Bureau of Indian Standard IS:5613.</p> <p>Minimum safe distance required from buildings are stipulated in the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023.</p> <p>The above Regulations are available at https://cea.nic.in/regulations-category/measures-relating-to-safety-and-electric-supply/ .</p>

आकाश
18/09/2023